Australian Government
Department of Home Affairs

COVID-19 का परीक्षण और उपचार

यदि आपके पास वीज़ा नहीं है, या यदि आप अपने वीज़ा की स्थिति के बारे में अनिश्चित हैं, तो आपके लिए यह आवश्यक है कि आप जनस्वास्थ्य निर्देशों का पालन करें। यदि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे/रही हैं, तो चिकित्सीय सलाह लें और COVID-19 का परीक्षण करवाएँ।

राज्य और राज्य-क्षेत्रों की सरकारें निःशुल्क COVID-19 परीक्षण और उपचार उपलब्ध करा रही हैं।

- ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र
- न्यू साउथ वेल्स
- उत्तरी राज्य-क्षेत्र
- क्वींसलैंड
- दक्षिण ऑस्ट्रेलिया
- तस्मानिया
- विक्टोरिया
- पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया

विक्टोरिया में आव्रजन चिकित्सीय परीक्षण

COVID-19 से संबंधित आगे के प्रतिबंधों के कारण विक्टोरिया में सभी आव्रजन चिकित्सीय परीक्षण अस्थायी रूप से स्थगित कर दिए गए हैं। आगे की जनस्वास्थ्य घोषणाओं के आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

मेरे पास एक छात्र वीज़ा है, या मैं छात्र वीज़ा के लिए आवेदन करना चाहता/चाहती हूँ

अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों और स्नातकों के लिए सहायता

ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए एक उच्च गुणवत्ता का और स्वागतमय स्थान बना हुआ है। सरकार ने विद्यार्थियों की सहायता के लिए कई वीज़ा विकल्पों की घोषणा की है। इनमें से कुछ विकल्पों के लिए कानून को बदलने की आवश्यकता है तथा आपको और अधिक जानकारी के लिए नियमित रूप से यहाँ जाँच करनी चाहिए।

उपाय अस्थायी होंगे और आवश्यकतानुसार निर्धारित समय तक जारी रहेंगे। मंत्री की प्रेस विज्ञप्ति देखें।

छात्र वीज़ा शुल्क

अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए हम आपका वीज़ा आवेदन शुल्क माफ कर देंगे, जिसके बाद आप एक अन्य छात्र वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं। यह उन विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होगा, जिनके पास

1 फरवरी 2020 के दिन या उसके बाद छात्र वीज़ा था और जो COVID-19 के प्रभावों के कारण अपनी वीज़ा की मूल वैधता अवधि के अंदर अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर सके। इसमें ऐसे विद्यार्थी शामिल हैं:

- जिन्होंने अपने अध्ययन को इसलिए स्थगित किया क्योंकि वे यात्रा प्रतिबंधों के कारण ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने में असमर्थ थे
- जो पढ़ाई को पार्ट टाइम करने के लिए मजबूर हुए थे
- जो अपने कार्य-आधारित प्रशिक्षण और/या प्लेसमेंट को पूरा करने में असमर्थ थे।

यह उपाय ऐसे विद्यार्थियों के लिए उद्देशित नहीं है जो सामान्य कारणों की वजह से नए छात्र वीज़ा के लिए आवेदन कर रहे हैं (इनमें किसी विषय या अध्ययन इकाई में विफल रहने वाले, व्यक्तिगत कारणों से स्थगित करने वाले या स्वेच्छा से अपने अध्ययन भार [स्टडी लोड] को कम करने वाले विद्यार्थी शामिल हैं।)

शुल्क छूट के लिए अपने आवेदन की पात्रता के लिए आपको एक छात्र वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा और अपने शिक्षा प्रदाता द्वारा पूर्णरूप से भरा हुआ प्रपत्र 1545 COVID-19 प्रभावित विद्यार्थी (पीडीएफ - 228 KB) अपने वैध छात्र वीज़ा आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

आपको इस वीज़ा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर या बाहर हो सकते/सकती हैं।

यह छूट केवल वीज़ा आवेदन शुल्क के लिए ही लागू है।

छात्र वीज़ा के लिए पहले ही आवेदन कर चुके विद्यार्थियों के लिए धन-वापसी उपलब्ध नहीं होगी। आवेदन शुल्क माफ किए जाने के लिए केवल नए आवेदन ही पात्र होंगे।

प्रपत्र 1545 COVID-19

शिक्षा प्रदाताओं को इस बात से संतुष्ट होने की आवश्यकता है कि प्रत्येक विद्यार्थी उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता है।

प्रपत्र में प्रश्न 6 और 7 को केवल उन विद्यार्थियों के लिए ही पूरा करना होगा जिन्होंने अपना अध्ययन स्थगित किया है।

विद्यार्थी अपने भरे हुए फॉर्म के साथ COVID-19 से संबंधित प्रभावों के आगे के प्रमाण प्रदान कर सकते हैं।

अस्थायी स्नातक (उपवर्ग 485) [Temporary Graduate (Subclass 485)] वीज़ा पात्रता

हमने COVID-19 से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए अस्थायी स्नातक (उपवर्ग 485) वीज़ा की आवश्यकताओं में परिवर्तन किया है:

- COVID-19 यात्रा प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप मौजूदा और नए छात्र वीज़ा धारकों द्वारा ऑस्ट्रेलिया के बाहर रहते हुए किए गए ऑनलाइन अध्ययन की गणना ऑस्ट्रेलियाई अध्ययन आवश्यकताओं में शामिल की जाएगी

यह परिवर्तन अभी उपलब्ध है।

- COVID-19 यात्रा प्रतिबंधों से प्रभावित होने वाले स्नातक ऑस्ट्रेलिया के बाहर से (जहां वे सभी आवश्यकताओं को पूरा कर चुके हैं) अस्थायी स्नातक वीज़ा के लिए आवेदन करने और यह वीज़ा प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

यह परिवर्तन अभी उपलब्ध नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ वापिस जाँच करनी चाहिए।

अपतटीय (ऑफशोर) छात्र वीज़ा अनुदान

हमने आवेदन-पत्रों को संसाधित करना जारी रखा है, साथ ही अब हमने ऐसे विद्यार्थियों के लिए फिर से वीज़ा जारी करना आरंभ कर दिया है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बाहर सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए छात्र वीज़ा के लिए आवेदन जमा किया है।

जबतक यात्रा प्रतिबंध लागू हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने के लिए की यात्रा नहीं कर सकते/सकती हैं।

अतिरिक्त जानकारी के लिए अनुकूलनीय समय-सीमाएँ - अंग्रेजी परीक्षाएँ, बायोमेट्रिक्स और स्वास्थ्य

यदि आप COVID-19 के कारण परीक्षा देने में असमर्थ थे/थीं, तो हम आपको अंग्रेज़ी भाषा परीक्षा के परिणाम प्रदान करने के लिए अतिरिक्त समय दे रहे हैं। COVID-19 के कारण सेवाएँ सुलभ न होने की स्थिति में बायोमेट्रिक्स संग्रह और स्वास्थ्य जांच के लिए भी अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

यदि आपने इनमें से एक या अधिक सेवाओं के लिए आने वाले 28 दिनों की सीमा से बाहर एपॉइंटमेंट लिया है, तो आप अपने ImmiAccount में अपनी बुकिंग की पुष्टि संलग्न कर सकते/सकती हैं।

वर्तमान छात्र वीज़ा शर्तें

COVID-19 प्रतिबंधों के कारण छात्र वीज़ा शर्तें पूरी न कर पाने की स्थिति में हम एक अनुकूलनीय दृष्टिकोण अपना रहे हैं। आप अपने छात्र वीज़ा की शर्तों के उल्लंघन में नहीं होंगे/होंगी, यदि:

- आपके पास एक अनुमोदित पाठ्यक्रम स्थगन है
- आप ऑनलाइन अध्ययन कर रहे/रही हैं।

आपके पास अस्थायी रूप से प्रति पखवाड़े (दो सप्ताह) 40 घंटे से अधिक समय के लिए कार्य करने की अनुमति भी है, यदि आप :

- स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, स्वास्थ्य से संबंधित पाठ्यक्रम (जैसे नर्सिंग या चिकित्सा) में भर्ती हैं और आपको COVID-19 के विरुद्ध प्रयासों में सहायता के लिए किसी स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाता है
- एक स्वीकृत प्रदाता या राष्ट्रमंडल द्वारा वित्त-पोषित वृद्ध देखभाल सेवा-प्रदाता द्वारा वृद्ध देखभाल क्षेत्र में कार्यरत हैं
- एक पंजीकृत राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना प्रदाता द्वारा कार्यरत हैं।

छात्र वीज़ा धारकों के लिए काम के घंटों में अस्थायी छूट देखें।

विभाग को सूचित करना

यदि आप अपने गृहदेश वापिस चले जाते/चली जाती हैं, या यदि आपकी अध्ययन की परिस्थिति बदल जाती है तो आपको विभाग को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।
आपका वीज़ा तब तक वैध रहता है जब तक आप किसी दूसरे वीज़ा के लिए आवेदन नहीं करते/करती हैं, या जब तक आपका वीज़ा समाप्त नहीं हो जाता है। यदि आप अपने गृहदेश वापिस चले जाते/चली जाती हैं या यदि आप अपना अध्ययन स्थगित कर देते/देती हैं, तो आपके वीज़ा की पदस्थिति नहीं बदलेगी।

शिक्षा प्रदाता एक नई नामांकन की पुष्टि [Confirmation of Enrolment (CoE)] जारी कर सकते हैं और विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन करने के लिए भर्ती कर सकते हैं। यदि आपके पास एक वैध छात्र वीज़ा है, तो आपका शिक्षा प्रदाता विभाग [Department] को आपके नए नामांकन की पुष्टि (CoE) प्रदान करेगा। आपको विभाग [Department] को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि आपके पास एक खुला छात्र वीज़ा आवेदन है, तो आप अपने नए नामांकन की पुष्टि (CoE) को ImmiAccount के माध्यम से अपने आवेदन में संलग्न कर सकते हैं।

वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे विद्यार्थी

छात्र वीज़ा धारकों को अपने शिक्षा प्रदाताओं के साथ संपर्क में बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि प्रदाता उनके लिए उपलब्ध अनेकानेक समर्थनों के बारे में उन्हें बता सकें।

कई विश्वविद्यालय और शिक्षा प्रदाता विद्यार्थियों को फीस में स्थगन, शिक्षा या भुगतान में स्थगन, भोजन और आवास में समर्थन के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य और अन्य चिकित्सीय सहायता के रूप में समर्थन भी प्रदान कर रहे हैं।

और अधिक जानकारी के लिए अध्ययन ऑस्ट्रेलिया [Study Australia] की वेबसाइट www.studyinaustralia.gov.au/ देखें।

अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की ऑस्ट्रेलिया में वापसी

जब अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए ऑस्ट्रेलिया वापिस आना सुरक्षित हो जाएगा, तो इसकी व्यवस्था इस तरीके से की जाएगी जिससे ऑस्ट्रेलियाई समुदाय की सुरक्षा की जा सके।

और अधिक जानकारी

अनेकों सरकारी एजेंसियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए सूचना उपलब्ध है, जिनमें शामिल हैं:

- ऑस्ट्रेलियाई सरकार की COVID-19 वेबसाइट नवीनतम समाचार, अपडेटों और सलाह के साथ।
- शिक्षा, कुशलताएँ और रोजगार विभाग [Department of Education, Skills and Employmen] की वेबसाइट और अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए ईमेल international.students@dese.gov.au
- स्वास्थ्य विभाग [Department of Health] की वेबसाइट विदेशी छात्र स्वास्थ्य कवर [Overseas Student Health Cover] के बारे में विवरण के साथ
- अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी लोकपाल [International Student Ombudsman] की वेबसाइट COVID-19 से संबंधित शिकायतों के लिए
- अध्ययन ऑस्ट्रेलिया [Study Australia] की वेबसाइट पर अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध समर्थन सेवाओं के बारे में जानकारी।